



## ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट नं०-01, नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा,  
गौतमबुद्ध नगर 201300

पत्रांक:-सम्पत्ति./BRS./2022/2903

दिनांक 04.08. 2022

अंतरण-ज्ञापन

### TRANSFER-MEMORANDUM

विषय- **M/s Eldeco Infrastructure & Properties Ltd.** को आवंटित भूखण्ड संख्या बीआरएस0-05, सेक्टर पी-2/ओमेगा-1, ग्रेटर नौएडा पर विल्डर द्वारा विकसित/निर्मित परियोजना **Eldeco Golf View Apartment** में भवन/फ्लैट संख्या **AIII/802, Eighth Floor, Eldeco Golf View Apartment, Pocket-P-2/ Omega-I, Greater Noida, Area- 130.52 वर्गमीटर** की अंतरण अनुमति।

अंतरक के पक्ष से	अंतरिकी के पक्ष में
अंतरक का नाम- <b>Mr. Shakil Ahmad Through GPA Mr. Shiraz Ahmad</b>	अंतरिकी का नाम- <b>Mr. Mayank Shekhar</b>
पिता/पति का नाम- <b>Mr. Shamin Ahmad</b>	पिता/पति का नाम- <b>Mr. Som Dutt Bansal</b>
पता- <b>A-III, 802, Eldeco Golf View Apartment, Sector Omega-I, Greater Noida</b>	पता- <b>H. No. B-231, Sector- P-3, Greater Noida, G. B. Nagar (U.P.)</b>

- उपरोक्त अंतरण हस्तांतरण नियम एवं शर्तों के साथ अनुमोदित किया जाता है।
- प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अंतरण शुल्क देय होंगे।
  - अंतरक/अंतरिकी को यह सुनिश्चित कराना होगा कि उपरोक्त सम्पत्ति सभी प्रकार से भारमुक्त है तथा कहीं बंधक नहीं है। बंधक पाये जाने की दशा अंतरण अनुमति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
  - अंतरिकी इस पत्र के जारी होने की तिथि से 90 दिन के अंदर निबंधित अंतरण प्रलेख का निबंधन सम्बन्धित उप निबंधक कार्यालय, सेक्टर गामा, ग्रेटर नौएडा, गौतमबुद्धनगर में कराकर उसकी सत्यापित प्रति इस प्राधिकरण को उपलब्ध करानी होगी। प्राधिकरण में दाखिल अंतरण प्रलेख का परीक्षण किया जायेगा, कम में पाये जाने पर भूखण्ड/भवन की दाखिल खारिज (mutation) की कार्यवाही की जायेगी तथा पृथक से म्यूटेशन आदेश निर्गत किये जायेंगे। यदि 90 दिनों के भीतर अंतरण प्रलेख की सत्यापित प्रति प्राधिकरण को उपलब्ध नहीं कराई गई तो अंतरण अनुमति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
  - अंतरण ज्ञापन अन्तर्गत प्रलेख का अनिवार्य अंग होगा तथा अंतरण के साथ परिशिष्ट के रूप में निबंधित किया जायेगा।
  - अंतरिकी द्वारा वकाया आवंटन घनराशि/अथवा कोई अन्य देय शुल्क के भुगतान में हुये विलम्ब हेतु 17% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज देय होगा। जिसका समायोजन प्रत्येक तीन माह के उपरान्त होगा।
  - प्राधिकरण, अंतरक एवं विल्डर के मध्य निष्पादित सबलीजडीड दिनांक-03.08.2004 में वर्णित शर्तों एवं नियम एवं अंतरण ज्ञापन की शर्तें अंतरिकी पर बाध्यकारी होंगी।
  - अंतरिकी उपरोक्त आवासीय भवन का उपयोग दिनांक 21.06.2003 से केवल 90 वर्ष की अवधि के शेष भाग के लिये पट्टे के रूप में करेगा।
  - प्राधिकरण की अनुमोदित भवन विनियमावली के नियम निर्देशों उपबन्धी के विरुद्ध किये गये निर्माण कार्य के फलस्वरूप समस्त दायित्व स्वतः ही अंतरिकी में निहित समझे जायेंगे।
  - अंतरिकी एवं उसके पति/पत्नी/आश्रित/अव्यस्क बच्चे ग्रेटर नौएडा क्षेत्र में अन्य आवंटन ग्राह्य करने के लिए अयोग्य होंगे।
  - अंतरिकी द्वारा उक्त आवासीय भवन का उपयोग केवल आवासीय रूप में किया जायेगा। अन्य प्रचलित नियम निर्देशों के अनुपालन न करने की दशा में आवंटन निरस्तीकरण हेतु वांछित कार्यवाही की जायेगी तथा अंतरिकी कोई अनुतोष पाने का अधिकारी न होगा।

प्रतिलिपि -

1. **Mr. Shakil Ahmad Through GPA Mr. Shiraz Ahmad** - अंतरक
2. **Mr. Mayank Shekhar** - अंतरिकी
3. **M/s Eldeco Infrastructure & Properties Ltd.,**  
201-212, 2<sup>nd</sup> Floor, Splendor Forum Jasola District Centre, New Delhi-110025

भवदीया,  
Signed by  
Aradhana  
Manager (विल्डरी)  
04/08/22 14:25:47

builder/NA/EGVA-0108/2018/78816

8/5/2